बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री योगेन्द्र ओझा, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय, जिला आपूर्ति प्रशाखा मुजफ्फरपुर के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों का निष्पादन में लापरवाही बरतने, माननीय उच्च न्यायालय एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन, सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता एवं कर्त्तव्यहीनता संबंधी आरोप तथा प्रखंड मुख्यालय में आवासन नही करने, आपूर्ति संबंधी कार्यो का निष्पादन सुचारू रूप से नहीं करने, खाद्यान्न वितरण रोस्टर के अनुरूप नहीं करने, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकान का निरीक्षण समुचित तरीके से नहीं किये जाने, राशन/किरासन कूपन के वितरण संबंधी कार्यों का सत्यापन नहीं किया जाना, जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दूकानों का GIS Mapping संबंधी प्रतिवेदन/जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा वितरित राशन/किरासन के विरूद्ध कार्ड एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कराये जाने संबंधित पूरक आरोपों के लिए उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापांन ज्ञापांक-- 1324 दिनांक-- 10.03.2017 द्वारा श्री ओझा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक खाद्य, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही मे संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन मे श्री ओझा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या--01, 04 एवं 06 को प्रमाणित तथा 02 एवं 03 आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये । उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-- 6357 दिनांक-- 13.12.2017 द्वारा श्री ओझा से द्वितीय कारणपृच्छा / स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

3. उक्त के क्रम में श्री ओझा के द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा/स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि श्री ओझा ने अपने स्पष्टीकरण में मूल रूप से उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जिसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान समर्पित अपने स्पष्टीकरण मे किया गया था । इस प्रकार विभागीय समीक्षा में श्री ओझा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं ।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री योगेन्द्र ओझा, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय, जिला आपूर्ति प्रशाखा मुजफ्फरपुर को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(VI) के तहत चार (04) वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है । उनके विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है ।

5. श्री ओझा को निलम्बन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

ह0/-
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--प्र08गो0आ0 मुजफ्फरपुर-04/2017 - 274 - /खाद्य,पटना/दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि--जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/उप निदेशक, खाद्य, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सह-- संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी--03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री योगेन्द्र ओझा, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।
16/1/xvIII